(136)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2347–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–7–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 250/अपील/2011–12.

.....

लक्ष्मण पिता हेमाजी लबाना
निवासी ग्राम शिवगढ़ तहसील सैलाना
जिला रतलाम

..... आवेदक

विरूद्ध

कंचनबाई पिता बगदीराम लबाना
निवासी ग्राम शिवगढ़ तहसील सैलाना
जिला रतलाम .....अनावेदिका

श्री शेलेन्द्र व्यास, अभिभाषक– आवेदक
श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक– अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 31/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार सैलाना के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम शिवगढ़ तहसील सैलाना स्थित भूमि सर्वे नम्बर 768 रकबा 0.450 हेक्टेयर अनावेदिका के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । उक्त

भूमि का सीमांकन कराये जाने पर रकबा 0.04 हेक्टेयर पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 26–9–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदिका को दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–1–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–7–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण दिनांक 19–5–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः निगरानी मेमों उल्लिखित आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में दिनांक 26–6–2011 को व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 4 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके बिना निराकरण किये तहसीलदार द्वारा बिना गुणदोष पर आदेश पारित किये निराकरण करने में त्रुटि की गई है ।

(2) तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250(3) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है जबकि अनावेदिका की ओर से अंतरिम राहत हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(3) तहसीलदार को सम्पूर्ण साक्ष्य लेकर आदेश पारित करना था, परन्तु उनके द्वारा साक्ष्य लिये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विरोधाभासी होकर बोलते हुये आदेश की श्रेणी में नहीं आता है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् साक्ष्य ली जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर से आवेदक का अवैध कब्जा पाते हुये आवेदक को बेदखल करने का आदेश पारित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप किये जाने का आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर 0.04 हेक्टेयर पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । अतः अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदिका को दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विधि एवं न्याय के अनुकूल कार्यवाही की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर